प्रेस विज्ञप्ति

05.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत छंगुर बाबा व अन्य से संबंधित धन-शोधन मामले में नवीन रोहरा को 04.08.2025 को गिरफ्तार किया है । उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), लखनऊ द्वारा 5 दिनों के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया गया है।

ईडी ने एटीएस, लखनऊ द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें गैरकानूनी धर्मांतरण, विदेशी धन के इस्तेमाल और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों से जुड़ी एक बड़े पैमाने की साजिश का आरोप लगाया गया था। छंगुर बाबा और उनके सहयोगियों पर चांद औलिया परिसर से संचालित एक व्यापक नेटवर्क स्थापित करने का आरोप है। बलरामपुर की दरगाह में वह नियमित रूप से बड़ी सभाओं का आयोजन करता था, जिनमें भारतीय और विदेशी दोनों ही नागरिक शामिल होते थे। उस पर अन्य धर्मों के लोगों—विशेषकर अनुसूचित जातियों और हिंदू धर्म से जुड़े आर्थिक रूप से वंचित लोगों—को व्यवस्थित रूप से धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने, दबाव डालने और छल करने का आरोप है।

पीएमएलए के तहत अब तक की जाँच में यह बात सामने आई है कि छांगुर बाबा, नवीन रोहरा और उनके सहयोगियों ने अपने बैंक खातों में 60 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धनराशि प्राप्त की है । यह भी पता चला है कि नवीन रोहरा ने अपने बैंक खातों में विदेशों से भी बड़ी मात्रा में धनराशि प्राप्त की थी।

इससे पहले, इस मामले में 17 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश और मुंबई में 15 ठिकानों पर तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान ज़ब्त किए गए दस्तावेज़ों से पता चला कि उन्हें प्राप्त धनराशि, जो कि अपराध की आय के अलावा और कुछ नहीं है, का इस्तेमाल नवीन रोहरा द्वारा विभिन्न अचल संपत्तियाँ हासिल करने और इन संपत्तियों पर निर्माण कार्य करने के लिए किया गया था ।

गौरतलब है कि छंगुर बाबा को इस मामले में ईडी द्वारा 28 जुलाई 2025 को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे की जांच जारी है।